

भारतीय नारी की विविध स्थितियों का विवेचनात्मक अध्ययन

*डॉ. अंजु पारीक

प्राचीन काल में नारी

इतिहास के प्रारंभिक रूप को देखने से ज्ञात होता है कि शुरु से ही नारी परिवार का केंद्र बिन्दु रही है। उन दिनों परिवार मातृ-सत्तात्मक था। खेती की शुरुआत तथा एक जगह बस्ती बनाकर रहने की शुरुआत नारी ने ही की थी, इसलिए सम्यता और संस्कृति के प्रारंभ में नारी है, किंतु कालान्तर में धीरे-धीरे सभी समाजों में सामाजिक व्यवस्था मातृ-सत्तात्मक से पितृ-सत्तात्मक होती गई और नारी समाज के हाशिए में चली गई। किन्तु आज भी भारत के कुछ पूर्वी एवं दक्षिणी प्रदेशों में समाज मातृ सत्तात्मक है।¹

आर्यों की सम्यता और संस्कृति के प्रारंभिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत सुदृढ़ रही है। ऋग्वेद काल में स्त्रियां उस समय की सर्वोच्च शिक्षा अर्थात् ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकती थी। ऋग्वेद में सरस्वती को वाणी की देवी कहा गया है जो उस समय नारी की शास्त्र एवं कला के क्षेत्र में निपुणता का परिचायक है। अर्द्धनारीश्वर की कल्पना स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों तथा उनके संतुलित संबंधों का परिचायक है। वैदिक काल में परिवार के सभी कार्यों और भूमिकाओं में पत्नी को पति के समान अधिकार प्राप्त थे। नारियां शिक्षा ग्रहण करने के अलावा पति के साथ यज्ञ का सम्पादन भी करती थीं। वेदों में अनेक स्थलों पर रोमाला, घोषाल, सूर्या, अपाला, विलोमी, सावित्री, यमी, श्रद्धा, कामायनी, विश्वम्भरा, देवयानी आदि विदुषियों के नाम प्राप्त होते हैं। उत्तर वैदिक काल में भी स्त्रियों की प्रतिष्ठा बनी रही तो उन्हें ब्रह्मा (सर्जक) तक कहा गया। गार्गी, मेंत्रेयी, उद्दालिका, विदग्धा आदि विदुषियाँ दार्शनिक एवं आ.यात्मिक चर्चाओं तक में सफलता के साथ भाग लेती थी। इसके अलावा शासन, सेना, राज्य-व्यवस्था में स्त्रियों के योगदान के प्रमाण मिलते हैं।

प्राचीन भारत में महिलाओं की प्रस्थिति से संबंधित दो विचार के सम्प्रदाय मिलते हैं। एक सम्प्रदाय के समर्थकों का कहना है कि महिलाएँ 'पुरुषों के बराबर' थीं, जबकि दूसरे सम्प्रदाय के समर्थकों की मान्यता है कि महिलाओं का न केवल अपमान ही होता था बल्कि उनके प्रति घृणा भी की जाती थी। दोनों ही सम्प्रदायों के समर्थकों ने अपने-अपने दृष्टिकोण की पुष्टि में धार्मिक साहित्य से अनेक उदाहरण दिये हैं। आपस्तम्ब ने निर्दिष्ट किया था "जब महिला रास्ते में जा रही हो तो सभी उसे रास्ता दें।" हम जिनका सम्मान करते हैं, उनके साथ यही व्यवहार करते हैं, शतप्रतिशत यह दर्शाते हैं कि महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था।² मनु ने कहा था - "जहां महिलाओं की दुर्दशा होती है, वहां सम्पूर्ण परिवार विनाश को प्राप्त होता है, किन्तु जहां वे सुखी हैं, वहां परिवार सदैव समृद्धि को प्राप्त

करता है।³ याज्ञवल्क्य ने कहा है - "महिलाएँ पृथ्वी पर समस्त दैवीय गुणों का प्रतीक हैं, 4 सोम ने अपनी समस्त पवित्रता उन्हें प्रदान की है, 5 गांधर्व ने "मृदु वाणी" 6 तथा अग्नि ने उन्हें अत्यन्त आकर्षक बनाने के लिये अपनी चमक उन पर न्यौछावर कर दी है।" 7 महिलाओं के विषय में इतने उच्च आदर्श रामायण एवं महाभारत में स्थान-स्थान पर दोहराए गए हैं।

रामायण-महाभारत काल में नारी के अधिकार पहले जैसे नहीं रहे। वर्ण-व्यवस्था में भी कठोरता आई तथा नारी घर-गृहस्थी तक सीमित रहने लगी। बहुपत्नी व्यवस्था और अनुलोम विवाह के कारण नारी उपभोग की वस्तु बनने लगी। तप, त्याग, नम्रता, धैर्य, आदि पतिव्रत धर्म का पालन करना उनके प्रमुख लक्ष्य माने गये। पति के मनमाने अधिकार का ज्वलंत उदाहरण द्रौपदी और सीता बनी। किशोरियों को शिक्षा से वंचित रखा जाने लगा। बहु-विवाह एवं बाल-विवाह होने लगे, विधवाओं की संख्या बढ़ने लगी। विधवा-विवाह पर प्रतिबंध लगा। पतिव्रत धर्म सर्वोच्च बन जाने के कारण विधवा का जीवन नरक हो गया, परिणामस्वरूप सती-प्रथा का जन्म हुआ। किशोरियों और युवतियों मंदिरों में बलात् देवदासियां बना दी गईं और धर्म के नाम पर वेश्यावृत्ति पनपी। इस काल में नारी को पिता, पति और पुत्र के अधीन रखने का विधान प्रस्तुत किया गया। इससे नारी पुरुष की सहभागिनी न होकर मात्र अनुगामिनी भोग्य पदार्थ बनकर रह गई और उसे सम्पत्ति में भी कोई अधिकार प्राप्त नहीं थे।

मध्यकाल में तो नारी की स्थिति और भी बदतर हो गई। कुल के रक्त की शुद्धता, नारी के सतीत्व की रक्षा और हिन्दु धर्म की रक्षा के नाम पर नारी को ऐसे-ऐसे सामाजिक-धार्मिक बंधनों में जकड़ दिया गया कि वह पुरुष की छाया मात्र होकर रह गई और उसका स्वतंत्र अस्तित्व लुप्त हो गया। इस काल में स्त्री शिक्षा समाप्त हो गई और पर्दा-प्रथा और सती-प्रथा यहां तक की मादा-शिशु की हत्या बढ़ गई। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में विदेशी आक्रमणों का प्रभाव कम था इसलिए वहां बाल-विवाह, पर्दा-प्रथा और सती-प्रथा जैसी कुप्रथाएँ कम पनप सकीं। यद्यपि म.य.कालीन इतिहास में रजिया बेगम, चॉंद बीबी, ताराबाई, अहिल्या बाई आदि वीरांगनाओं ने शासन संचालन में ख्याति प्राप्त की किन्तु इन चंद नारियों के उदाहरणों से यह नहीं कहा जा सकता कि सामान्य स्त्री की स्थिति किसी भी तरह संतोषजनक थी।

11वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही भारतीय समाज पर उसके आपसी मतभेद एवं फूट के कारण मुस्लिमों का आिपत्य हो गया था। उनके प्रतिदिन के बढ़ते वर्चस्व के कारण संस्कृति रक्षा एवं

*पू.प्रा.एस.एस.जी. पारीक सायंकालीन महाविद्यालय, जयपुर

मनु-स्मृति के नाम पर नारी के स्वतंत्र अस्तित्व का न केवल पूर्णतया लोप हो गया वरन् उन्हें समाज की चारदीवारों में कैद कर दिया गया। लगातार आक्रमणों में भागीदारी, परिवार एवं समाज को सुरक्षा प्रदान करते रहने के कारण पुरुषों का गौरव बढ़ता चला गया। धीरे-धीरे स्थिति यह आयी कि सुविधा एवं सुरक्षा जुटाते रहने के कारण पुरुषों के वर्चस्व को समाज में मान्यता दे दी गई नारियों मात्र विलास भोग का पर्याय बन गयीं उनका कार्य केवल सज-सँवर कर पुरुषों की इच्छा पूर्ति करना अथवा उनके बच्चों की मां बनकर उनकी देख-रेख करना रह गया। वे बाजार की एक बेजान वस्तु की भांति हो गयीं जिनकी हर सांस पर दूसरों का अधिकार था और ये पुरुष ही होते थे। उनके विचारों तथा उनकी इच्छा का कोई अर्थ न रह गया था। जन्म लिया तो मां बाप का अधिकार, वे चाहे जिस खूटे से जब चाहे उसे बां. दे। विवाह के पश्चात् पति का अधिकार, वो चाहे जैसे उपयोग करे, चाहे तो उसके साथ कई अन्य औरतों को घर में बिठा कर रख ले और चाहे वह शराबी, जुआरी एवं लम्पट कुछ भी हो, वह परमेश्वर है और प्रत्येक स्थिति एवं अवस्था में उसकी दासी भाव से पूजा एवं सेवा करना नारी धर्म है।¹⁰

ब्रिटिश काल में नारी प्रतिशत—18वीं शताब्दी के अन्तिम वर्षों से लेकर स्वतंत्रता से पूर्व का समय ब्रिटिश काल कहलाता है। मुगल साम्राज्य के पतन के पश्चात् इस दश की पावन धरा पर अंग्रेजों का शासन हो गया। इस काल में हमें मृत पड़े भारतीय समाज में पुनर्प्रतिशत जागरण के चिन्ह दिखाई देते हैं। इसका श्रेय निःप्रतिशतसंदेह ब्रिटिश सरकार को जाता है जिन्होंने यहां के समाज में परिवर्तन लाने के लिए अनेक प्रयत्न किए जिनमें सबसे महत्त्वपूर्ण था आधुनिक शिक्षा नीति का प्रसार एवं प्रचार। इसी के परिणाम स्वरूप राजा राम मोहन राय जैसे महान् समाज सुधारक का जन्म हुआ, जिन्होंने सती प्रथा की समाप्ति करवाई, बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवाओं के पुनर्विवाह एवं स्त्री शिक्षा पर काफी जोर दिया। स्वामी विवेकानन्द ने भी नारी के पुनरुद्धार पर जोर देते हुए कहा — “जिस देश या राष्ट्र में नारी पूजा नहीं होती, वह देश या राष्ट्र कभी महान् या उन्नत नहीं हो सकता। नारी रूपी शक्ति की अवमानना करने से ही आज हमारा अधःप्रतिशतपतन हुआ है।”¹¹

स्वातंत्र्योत्तर काल में नारी प्रतिशत—यद्यपि ब्रिटिश काल में नारी पुनर्जागरण के लिये कई उपाय किये गये, तथापि उनमें जागृति की गति बहुत धीमी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् नारियों में स्वचेतना जाग्रत करने के लिये कई उपाय किये गये। सर्वप्रथम उन्हें संविधान में समान दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 14 एवं 15 में पुरुषों एवं स्त्रियों में कोई अंतर न करते हुये समानता की गारंटी मिली। वैवाहिक जीवन की समरसता के लिये हिन्दू विवाह अधिनियम, 1952 तथा विशेष विवाह अधिनियम 1956 का अधिनियम किया गया। हिन्दू अल्प वयस्कता तथा अभिभावकता अधिनियम, 1956 में भी नारियों के सामाजिक उन्नयन हेतु कई कानूनों का समावेश किया गया। दहेज

निवारक अधिनियम, 1961 तथा बाल विवाह (संशोधन) अधिनियम 1983 के साथ-साथ महिला का अश्लील प्रस्तुतीकरण विरोधी कानून 1986 ने नारियों को कई प्रकार के विधिक संरक्षण प्रदान किये हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता में भी नारियों के प्रति किये गये अपराधों हेतु दण्ड की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त शोषण की शिकार नारियों को न्याय दिलाने के लिए स्थान-स्थान पर स्वयं सेवी संस्थायें खुल रही हैं। उन्हें न्याय मिल सके इसके लिये विभिन्न विभागों में उन्हें भर्ती किया जा रहा है। उनके समुचित विकास के लिये बैंकों से विभिन्न प्रकार के ऋण दिये जा रहे हैं। कई बैंक एवं कार्यालय ऐसे हैं जो केवल नारियों के द्वारा ही चालित हैं।¹²

वर्तमान काल में नारी प्रतिशत— यह सत्य है कि आज नारी जीवन के हर मोड़ पर और समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी अदम्य क्षमता एवं मानसिक परिपक्वता का परिचय दे रही हैं। 1947 एवं 1948 की नारी में और आज की नारी में बहुत अंतर है। आज उसकी सोच, उसके विचारों में इतना गहरा परिवर्तन आया है कि वह भी घर की दीवारों को तोड़ कर एवं उसकी चुनौती को सहजता से स्वीकार करके आगे बढ़ती जा रही है। क्या घर के बाहर सर्वत्र वह अपना उत्तरदायित्व ठीक प्रकार से निभा रही है? डी. एच. लारेस ने कहा था “औरत इस ारती की वह अनुपम कश्ति है, जो न मनोरंजन का साधन है, न ही पुरुष की वासना का शिकार है, वह व्यक्ति की चाह की वस्तु नहीं है, अपितु वह तो पुरुष का दूसरा पुत्र है।”¹³

हिन्दू महिलाओं की स्थिति मानव अधिकारों के संदर्भ में प्रतिशत—हिन्दू महिलाओं का सामाजिक जीवन आज स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के समय से बिल्कुल भिन्न है। जिन परिवारों में कुछ वर्ष पहले तक महिलाओं के लिये पर्दे में रहना अनिवार्य था, उन्हीं परिवारों की महिलाएँ आज खुली हवा में श्वास ले रही हैं। जिन रुढ़ियों-परम्पराओं को महिलाओं ने अपनी अज्ञानता के कारण अपने जीवन का “आदर्श” बना रखा था, उन रुढ़ियों-परम्पराओं के प्रति महिलाओं की उदासीनता बराबर बढ़ती जा रही है और ऐसे सगठनों की सदस्यता भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है जो महिलाओं के विकास के कार्य में सहायक हैं। के.एम. पणिकर के अनुसार “कुछ में। गाँवी महिलाओं ने जो उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है, वह भारत के लिए उतने महत्त्व की बात नहीं है जितनी यह बात है कि कटरपंथी और पिछड़े समझे जाने वाले ग्रामीण व्यक्तियों के विचार भी करवट लेने लगे हैं। यहां महिलाएँ उन सामाजिक बंधनों से बहुत कुछ मुक्त हो चुकी हैं जिन्होंने उन्हें रुढ़ियों और ‘बाबा वाक्य प्रमाण’ की विचारधारा के द्वारा जकड़ रखा था” निश्चित ही भारतीय महिलाओं की स्थिति में होने वाले ये परिवर्तन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण हैं।¹⁴

मुस्लिम महिलाओं की स्थिति—इस्लाम के संस्थापक पैगम्बर मुहम्मद ने तत्कालीन अरब के कबाइली समाज में महिलाओं के मानव अधिकारों की पुरजोर वकालत की थी। 15 महिलाओं को दासतापूर्ण जीवन से मुक्ति दिलाने के लिए मुहम्मद ने बहु

विवाह परम्परा का समर्थन किया था, लेकिन कालान्तर में इस्लाम की महिला अधिकारों से संबंधित आदर्श मान्यताओं ने संकुचित रूप ग्रहण कर लिया।

भारत पाकिस्तान एवं बांग्लादेश में मुस्लिम समुदाय संख्या की दृष्टि से हिन्दूओं के पश्चात् दूसरे स्थान पर है। उप महाद्वीप के तीन देशों की मुस्लिम महिलाएँ निसंदेह महिलाओं के एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। उपमहाद्वीप की मुस्लिम महिलाएँ इक्कीसवीं सदी में पदार्पण करने के बावजूद धार्मिक कानूनों, रुढ़ियों एवं परम्पराओं के बंधनों में जकड़ी हुई हैं।

ईसाई महिलाओं की स्थिति—भारत में हिन्दू और मुस्लिम स्त्रियों की अपेक्षा ईसाई स्त्रियों की स्थिति सामान्यतः प्रतिशत अच्छी है। धार्मिक दृष्टि से भी ईसाई धर्म में स्त्रियों को पुरुषों के समान माना जाता है। उनको व्यक्तित्व के विकास के वे सभी अवसर प्राप्त हैं जो पुरुषों को प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त उनके मार्ग में परम्परागत रूप से ऐसी बाधाएँ भी नहीं हैं जो उनकी योग्यता को कुण्ठित करके आगे बढ़ने से रोक सकें। ईसाईयों का समूचा सामाजिक वातावरण स्त्रियों के अनुकूल है। भारतीय शिक्षित महिलाओं में ईसाई महिलाओं का प्रतिशत अधिक है। अन्य ार्म और समाज की महिलाएँ घर की चार दीवारी से निकलने की प्रेरणा ईसाई महिलाओं से ही प्राप्त करती हैं। ईसाई समाज में विवाह की परम्पराएँ एवं प्रक्रिया महिलाओं के व्यक्तित्व का पूरा सम्मान करती हैं। जिस प्रकार रीति-रिवाज, धर्म एवं नैतिकता के आदर्शों ने हिन्दू समाज की महिलाओं को रुढ़िगत बेड़ियों में जकड़ा है, ईसाई समाज में महिलाओं को उनके अधिकार पूर्ण रूप से मिलते हैं। ईसाई समाज में सामान्यतः प्रतिशत कम उम्र में शादियाँ नहीं होती इसलिये बाल-विवाह के अभिशाप से बच जाती हैं विवाह के समय लड़कियों की सहमति मांगी जाती है और यदि लड़की सहमत नहीं हो तो प्रायः प्रतिशत विवाह नहीं किया जाता। पश्चात्य देशों की महिलाओं के समान ही वे स्वतंत्र तथा स्वच्छद हैं। उनको ये आर्थिक अधिकार केवल सिद्धान्त रूप में ही प्राप्त नहीं हैं वरन् वास्तविक व्यवहार में इनकी प्राप्ति के लिये समाज द्वारा महिलाओं को प्रेरणा एवं प्रोत्साहन भी दिया जाता है। चर्च द्वारा भी महिलाओं की सहायता एवं समर्थन किया जाता है। अधिकांश ईसाई महिलाएँ श्वादी के बाद भी जीविकोपार्जन के लिये कोई न कोई व्यवसाय करती हैं। वे अधिकतर नर्स, दाई, अध्यापिका, डॉक्टर, आदि पदों पर कार्य करती हैं। शिक्षा तथा मेंडिकल व्यवसायों में ईसाई स्त्रियाँ बहुतायत में पाई जाती हैं। भारतीय संविधान प्रत्येक व्यक्ति को लिंग के आधार पर भेदभाव किये बिना ही मौलिक अधिकार प्रदान करता है। 16

भारतीय नारी के बदलते रूप प्रतिशत—हमारी भारत भूमि आदि काल से ही स्त्री प्रधान रही है। इसलिये हम इसे भारत मां के नाम से पुकारते हैं। नवरात्रों के दिनों में हम नारी शक्ति के रूप में देवी के विभिन्न रूपों और उनकी विभिन्न और विशेष शक्तियों की पूजा-अर्चना करते हैं। इस प्रकार स्वयं को नारी शक्ति के संरक्षण में भी पाते हैं।

हमारे देश का गौरव पूर्ण इतिहास व प्राचीन पावन ग्रंथ इस तथ्य के साक्षी हैं कि महाभारत और रामायण काल में भी हमारे देश की सुशिक्षित विदुषी नारियों ने जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों के कंधों से कन्धा मिलाकर सामाजिक सुरक्षा ज्ञान, धर्म राजनीति के साथ-साथ देश व राष्ट्र के सम्मानजनक विकास में अपना सक्रिय योगदान दिया है। यह आश्चर्यजनक है कि आज की पढ़ी लिखी महिलाएँ स्वतंत्रता को स्वच्छन्दता समझने की भूल कर रही हैं। परम्परागत संस्कारित मूल्य उन्हें अपने पाँवों की बेड़ी प्रतीत हो रहे हैं जिन्हें तोड़कर वे पश्चात्य संस्कृति का आनुकरण करने का प्रयास कर ही हैं। स्वैच्छिक संगठन एक ओर तो नारी की गरिमा को समाज में पुनः प्रतिशत स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं वहीं दूसरी ओर नारी व्यक्तिगत जीवन के लक्ष्य व मूल्य को स्वयं निर्धारित करने के प्रयास में खुद को ही छल रही हैं। 28

टी.वी. के छोटे पर्दे पर अथवा सिनेमा के बड़े रुपहले पर्दे पर या फिर विज्ञापनों के बड़े-बड़े पोस्टरों, हॉर्डिंग्स पर नारी को जिस रंग-रूप और अश्लील चित्रों में दर्शाया जा रहा है उससे उनके नारीत्व पर तो कलंक लगता ही है—साथ ही ऐसे कुरूप चित्रों को देखकर हमारे देश की भावी कर्णधार युवा पीढ़ी भी दिशा भ्रमित होकर गलत रास्ते अपनाने पर मजबूर हो रही है। इस सामाजिक प्रदूषण से वह अपना संयम और नैतिक स्तर भी खो रही है। इसलिये दिन-ब-दिन अपराध, अपहरण, बलात्कार, सैक्स-स्केण्डल आदि की घटनाएँ अखबारों में सुर्खियों के साथ छप रही हैं। 29

इस बढ़ते हुये सामाजिक प्रदूषण को समाज और राष्ट्र के हित में, रचनात्मक सोच के साथ हर स्तर पर आन्दोलन सा छेड़कर इसके विरुद्ध जनमत तैयार करके इसे यथाशीघ्र ही रोकना होगा, तभी हम अपने समाज के साथ-साथ सम्पूर्ण राष्ट्र को वही सम्मानजनक स्थान दिला सकेंगे जिसका कि वह वास्तव में हकदार है। यह तब सम्भव हो सकेगा जब हर भारतीय नारी स्वयं भी स्वेच्छा से अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए इस आन्दोलन में अपना सक्रिय योगदान दे और अपने स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाए।

सन्दर्भ—

1. वयनित हिन्दी निबंध प. संख्या 6-7. 2. कमलेश गुप्ता, भारतीय महिलाएँ शोषण, उत्पीड़न एवं अधिकार, बुक एनक्लेव, जयपुर 2005 प. 23. 3 - उपरोक्त - प -23. 4- उपरोक्त - प -23. 5 - उपरोक्त -प -24. 6 - उपरोक्त -प -24. 7 - उपरोक्त -प -24. 9 आशा कौशिक, नारी सशक्तिकरण प्रतिशत निमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर, पब्लिशर्स, जयपुर 2004 प. 200. 10 आशा कौशिक, नारी सशक्तिकरण प्रतिशत निमर्श एवं यथार्थ, पोइन्टर, पब्लिशर्स, जयपुर 2004 प. 200. 11 एम.ए. अंसारी, महिला और मानवाधिकार ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2003 प. 328. 12 एम.ए. अंसारी, महिला और मानवाधिकार ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2003 प. 328. 13 एम.ए. अंसारी, महिला और मानवाधिकार ज्योति प्रकाशन, जयपुर 2005 प. 94. 15 उपरोक्त, प. 95. 16 कमलेश कुमार गुप्ता, महिला सशक्तिकरण, बुक एनक्लेव, जयपुर 2005, प. 96. 28 माया टण्डन, राजस्थान विश्वविद्यालय संस्था /वा.शक्ति अप्रैल 2003 से मार्च 2005 पृ. 37. 29 उपरोक्त प. 38.